

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

कैलाश बनाम बेशी (वैरा)

किस्त नुकदना प्रत्यक्ष 111-126 नं० 79 सन् 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
5.6.20	बाद / प्राथनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीय को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 21.7.20 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
21.7.20	उभय पक्ष उपस्थित नितरहीन अतिथी सजकीय कार्य पत्रावली के अंतः पत्रावली दिनांक 11.8.20 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
11.8.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 25.8.20	
25.8.20	उभय पक्ष उपस्थित नितरहीन अतिथी सजकीय कार्य से बाहर है। पत्रावली दिनांक 15.9.20 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
15.9.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी गण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से माँका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण को किसी भी श्रवण आवाज दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके विकल्प तर्फा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते	



तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उपखण्ड अधिकारी  
हुकम की तारीख  
में जारी है

है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही  
वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील  
प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर  
त्रितीय पृष्क से लिखा जाकर शामिल  
पठावली किया गया। पठावली फ़ैसल  
शुभार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला पीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

मौजदारी अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 73/20 प्रपत्र

1- श्री कल्याण लो. श्री गोपी गील निवासी - गोकर्णदा तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री कल्याण लो. श्री गोकर्णदा तहसील - माण्डल (कौरी)  
(सिद्धांत प्रो. का. रा. का.)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम... गोकर्णदा... पटवार हत्का (गोकर्णपुरा)... तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 467/1, 468/1... कुल किता... 02... रकबा... 17... बीघा... विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.06.20... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम... गोकर्णदा... पटवार हत्का (गोकर्णपुरा)... तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 467/1, 468/1... कुल किता... 02... रकबा... 17... बीघा... विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक... 850/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा